न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/450

1. मोहन लाल आत्मज भंवर लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश
   1/2. चन्द्रप्रकाश
   1/3. रणजीत
   1/4. सत्यनारायण पिसरान श्री मोहन लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती सोहनी पुत्री मोहन लाल बाबर पत्नी मकरध्वज बाबर निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/6. श्रीमती गुलाब बाई बेवा स्व0 मोहन लाल बाबर जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. सोहन लाल आत्मज भंवर लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
3. भोजराज आत्मज भंवर लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज श्री छीतर लाल जाति ब्राह्मण निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. बृजकिशोर आयु 50 वर्ष ।
   1/2. उमाशंकर शर्मा आयु 45 वर्ष ।
   1/3. जगदीश शर्मा आयु 37 वर्ष ।
   1/4. बृजनन्दन शमाफ आयु 34 वर्ष पिसरान श्री मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   1/5. श्रीमती पार्वती बाई आयु 42 वर्ष पुत्री श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी व पत्नी श्री भगवती प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तसहील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/451

1. मोहन लाल आत्मज भंवर लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रमेश
   1/2. चन्द्रप्रकाश

1/3. रणजीत
1/4. सत्यनारायण पिसरान श्री मोहन लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
1/5. श्रीमती सोहनी पुत्री मोहन लाल बाबर पत्नी मकरध्वज बाबर निवासी रोटेदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
1/6. श्रीमती गुलाब बाई बेवा स्व0 मोहन लाल बाबर जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
4. सोहन लाल आत्मज भंवर लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
5. भोजराज आत्मज भंवर लाल जाति बाबर निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मोहनलाल आत्मज श्री छीतर लाल जाति ब्राह्मण निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायम मुकामान :–
1/1. बृजकिशोर आयु 50 वर्ष ।
1/2. उमाशंकर शर्मा आयु 45 वर्ष ।
1/3. जगदीश शर्मा आयु 37 वर्ष ।
1/4. बृजनन्दन शमाफ आयु 34 वर्ष पिसरान श्री मोहन लाल जाति ब्राह्मण निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
1/5. श्रीमती पार्वती बाई आयु 42 वर्ष पुत्री श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी सुवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी व पत्नी श्री भगवती प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी अकतासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तसहील तालेडा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

दिनांक: 11.03.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें एक ही अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री से सम्बन्धित होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा समान प्रकृति एवं समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग– अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद संख्या 122/2000 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम सुवांसा की आराजी साबिक खसरा नम्बर 447 रकबा 12 बीघा 18 बिस्वा जिसके केचमेंट के बाद खसरा नम्बर 2509 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा कायम हुए हैं के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित करने एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया ।

4. इसी प्रकार एक अन्य वाद प्रतिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेंकित करते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार करते हुए वादी अपीलान्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया तथा राजस्व रिकॉर्ड से राहिन मु0बि0क0 से वादीगण के नाम की प्रविष्टि हटाकर इन्द्राज दुरूस्ती करने तथा कब्जा प्रतिवादी को संभलाये जाने का आदेश पारित किया है ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में दो अलग–अलग अपीलें पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

9. अप्रार्थी अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज करने का निवेदन किया ।

10. हमने उक्त प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया एंव प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में भू– अभिलेख निरीक्षक वृत बाजड की पालना रिपोर्ट दिनांक 01.08.2018 की सत्यप्रतिलिपि है तथा नकल जमाबन्दी संवत् 2072 –75 की पेश की है । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है और प्रकरण से सम्बन्धित है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता । अतः न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज भू–अभिलेख निरीक्षण की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया जाता है ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । वादग्रस्त आराजी वादीगण के

कब्जे में गत 100 वर्षों से बहैसियत राहिन चली आ रही है । जमाबन्दी में भी इसका इन्द्राज हो रहा है । राहिन की अवधि समाप्त हो जाने के बाद अथवा 100 वर्षों का कब्जा होने के कारण वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार बन चुके हैं । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया और एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जिसमें यह कथन किया कि राहिन की अवधि समाप्त हो चुकी है कब्जा केचमेन्ट के बाद प्रतिवादीगण को संभलाया जा चुका है । दोनों दावों को समेकित किया गया और लोक अदालत में दिनांक 15.06.2018 को प्रतिवादी रेस्पपोडेन्ट का दावा डिक्री किया और आराजी जो कि रिसीवर के कब्जे में थी का कब्जा प्रतिवादीगण को संभलाये जाने का निर्णय पारित किया गया है । दिनांक 15.06.2018 को लोक अदालत में समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं थे । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा भी लोक अदालत में नहीं हुआ जो लोक अदालत में आवश्यक है । लोक अदालत में उभय पक्षकारान के उपस्थित होकर राजीनामा पेश किये बिना गुणावगुण के आधार पर निर्णय लोक अदालत में नहीं किया जा सकता । पत्रावली प्रतिवादीगण की साक्ष्य में लम्बित थी और लोक अदालत में साक्ष्य प्रतिवादी बन्द कर पक्षकारान की बहस सुने बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है । साक्ष्य बन्द होने के बाद अपीलान्ट वादीगण को खण्डनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया है । वादीगण का पुराना कब्जा नकल जमाबन्दी बन्दोबस्त संवत् 1991 से प्रमाणित है। राजस्व रिकॉर्ड में मू0 बि0 क0 वादीगण का नाम दर्ज है । खसरा गिरदावरी एवं खतौनी सिंचाई में भी कब्जा वादीगण का दर्ज है जिसका खण्डन किसी दस्तावेजी साक्ष्य से भी नहीं हुआ है । कन्सोलिडेट तनकीयात के अनुसार निर्णय पारित नहीं किया गया है । रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रतिवादी बृजकिशार के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया है । नगद प्रतिभूति से काबिज व्यक्ति को ही कब्जे को बनाये रखने का अधिकार प्राप्त होता है । नगद प्रतिभूति पर कब्जा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है । रेस्पोडेन्ट का कब्जा प्रमाणित नहीं होने पर भी वादीगण का कब्जा नहीं माना है जो तर्कसंगत नहीं है । सीपीसी की पालना किये बिना ही निर्णय पारित किया है । मृतक गुलाब बाई के कायममुकामान रिकॉर्ड पर नहीं लिये हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 190, आरआरडी 1983 पेज 240, एआईआर (एससी) 2003 पेज 1905 उद्धरत की ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट वादीगण के राहिन बिल कब्ज दर्ज है और धारा 43 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार 05 वर्ष बाद राहिन निष्प्रभावी हो जाता है । वादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार घोषणा की प्रार्थना की है जबकि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । वादी अपीलान्ट का दाव मेन्टेनेबल नहीं था, दावे में साक्ष्य पूर्ण हो चुकी थी और इसके उपरान्त गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट का यह कथन है कि उन्हें रिवटल में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है परन्तु उन्होंने अपनी अपील में यह नहीं बताया है कि उन्हें रिवटल में कौन सी साक्ष्य पेश करनी थी । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का है । प्रदर्श– डी–6 मौका रिपोर्ट और प्रदर्श– डी–2 अतिरिक्त जिला कलक्टर सीएडी का निर्णय है जिसमें कि कब्जा रेस्पोडेन्टगण का माना गया है । केचमेंट में वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट के कब्जे से ली और रेस्पोडेन्ट को कब्जा संभलाया है । रेस्पोडेन्ट

ने स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया था, अस्थायी निषेधाज्ञा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में दिनांक 23.02.1991 को जारी हो गयी थी ओर अपील में उसको खारिज किया गया इसके उपरान्त नगद प्रतिभूति पर अपीलान्ट को कब्जा संभलाया गया । अपीलान्ट के दावे में कोई मेरिट नहीं है ऐसा प्रकरण मेन्टेनेबल नहीं होता है उसमें मेन्टेनेबिलटी पहले देखी जानी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सीपीसी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, यह तर्क न्यायसंगत नहीं है क्योंकि सीपीसी मात्र एक प्रोसेजर लॉ है और जहॉ सबस्टान्शियल जस्टिस किया जा चुका है वहॉ प्रोसेजर कमियों को अनदेखा किया जा सकता है । राहिन व प्रतिकूल कब्जे के आधार पर वादी अपीलान्ट को कोई भी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते इसलिए प्रोसिजर कमी के आधार पर उक्त प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना न्यायसंगत नहीं है । माननीय उच्च द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि जब अपीलीय न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है तो प्रकरण को रिमाण्ड नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अपीलीय न्यायालय को स्वयं प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करना चाहिए । अपीलांन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि दौराने दावा दिनांक 10.04.2018 को प्रतिवादी श्रीमती गुवाब बाई का स्वर्गवास हो गया है और उक्त निर्णय मृत व्यक्ति के खिलाफ अवैध है । यह तर्क कानूनन संवहनीय नहीं है क्योंकि हसतगत प्रकरण में श्रीमती गुलाब बाई के विधिक प्रतिनिधि पूर्व से ही रिकॉर्ड पर हैं । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अपीलान्ट के अपील मीमो के टाईटल से भी यह तथ्य साबित है । अपीलान्ट को कब्जा केवल धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतवर्ती आदेशों के तहत नगद प्रतिभूति पर प्राप्त हुआ था । अंतवर्ती आदेश के तहत दिया गया कि ऑब्जर्वेशन मूल वाद के निस्तारण पर कोई भी असर नहीं रखता है और मूल वाद में दिया गया आब्जर्वेशन ही कानूनन मान्य होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2014 (2) पेज 806, आरआरटी 2007 (1) पेज 385, आरआरटी 2014 (1) पेज 279, एआईआर 1977 पेज 2421, एआईआर 1987 पेज 1353, आरआरटी 2014 (1) पेज 376 सीसीसी 2015 (4) पेज 713, सीसीसी 2015 (3) पेज 529, आरएलडब्ल्यू (2) 2006 पेज 1275, सीसीसी 2015 (4) पेज 394, सीडीआर 2008 (2) पेज 1208 उद्धरत की ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने रिबटल में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नगद प्रतिभूति पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में थी और अपीलान्ट द्वारा मार्च, 2019 तक की नगद प्रतिभूति राशि जमा की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में जब तक तहसीलदार अपीलान्ट से कब्जा नहीं लेता है तब तक रेस्पोडेन्ट को कब्जा नहीं संभलाया जा सकता । बिना इजराय के पटवारी हल्का की रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कब्जा संभलाये जाने का कथन किया गया है जो विधि – विरूद्ध है ।

14. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक दावा बाबत् हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी के बाबत् पेश किया था और रेस्पोडेन्ट ने भी एक दावा वादग्रस्त आराजी के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों दावों को समेकित किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रतिवादी के द्वारा पेश किये गये गवाह से जिरह हेतु लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई है और इसी दिन वादी का दावा खारिज करते हुए प्रतिवादी का

काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया है । लोक अदालत में पक्षकारान में से प्रतिवादीगण की ओर से बृजकिशोर प्रतिवादी क्रम 1/1 और वादीगण की ओर से रमेश वादी क्रम 1/1 की उपस्थिति दर्ज की गई है । प्रतिवादी क्रम 1/3 जगदीश की भी उपस्थिति दर्ज की गई है ।

15. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार जगदीश उपस्थित हुए हैं परन्तु लोक अदालत में कोई भी अभिभाषक उपस्थित नहीं हुए हैं और जिरह अभिभाषक के द्वारा ही की जा सकती है और उसी दिन साक्ष्य प्रतिवादी बन्द करके गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । वादी अपीलान्ट को रिवटल में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा भी नहीं हुआ है और न ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं । प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु निहित थे इसलिए सीपीसी की पालना किया जाना, वादी को रिवटल में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया जाना एवं अभिभाषकगण को बहस का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है जो प्रदान नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

16. जहाँ तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि दावा वादी मेन्टेनेबल नहीं है और अपीलान्ट ने रिवटल में पेश किये जाने वाले साक्ष्य का उल्लेख अपील में नहीं किया है इस क्रम में हमारा यह मत है कि दावा सन् 1987 से लम्बित है ऐसी स्थिति में सीपीसी की पालना करते हुए प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द होने के उपरान्त रिवटल में वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए ही विधि सम्मत निर्णय पारित किया जा सकता है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के कथनानुसार वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा नगद प्रतिभूति पर है व नगद प्रतिभूति मार्च, 2019 तक जमा है ऐसी स्थिति में मार्च, 2019 से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2018 को ही कब्जा संभलाने का जो अदेश पारित किया है वह भी त्रुटिपूर्ण है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो खारिज किये जाने योग्य है।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 18/450 एवं 18/451 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी यदि अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहे तो उन्हें पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए वादी अपीलान्ट को रिवटल में साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा